

भाग—III**हरियाणा सरकार****परिवहन विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 30 नवम्बर, 2021

संख्या सांका०नि० 24/संवि०/अनु० 309/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

भाग I —सामान्य

- (1) (1) ये नियम परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग ग) सेवा नियम, 2021, कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम,
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। प्रारम्भ तथा
(3) ये नियम नियमित आधार पर नियुक्त मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी वर्ग ग लागूकरण।
कर्मचारियों पर लागू होंगे।
2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
- (क) “आयोग” से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;
- (ख) “सीधी भर्ती” से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी पदधारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति से अन्यथा की गई हो;
- (ग) “क्षेत्रीय कार्यालय” से अभिप्राय है, परिवहन विभाग, हरियाणा के मुख्यालय से भिन्न कार्यालय;
- (घ) “सरकार” से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
- (ङ) “मुख्यालय” से अभिप्राय है, परिवहन आयुक्त का कार्यालय;
- (च) “संस्था” से अभिप्राय है,—
- (i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; या
- (ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य संस्था;
- (छ) “मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय” से अभिप्राय है,—
- (i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय; या
- (ii) कोई अन्य विश्वविद्यालय जो, इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (ज) “सेवा” से अभिप्राय है, परिवहन विभाग हरियाणा (वर्ग ग) सेवा;
- (झ) “परिवहन आयुक्त” से अभिप्राय है, परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, हरियाणा।

भाग II —सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट “क” में बताए गए पद समाविष्ट होंगे: पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप।
- परन्तु इन नियमों की कोई बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों तथा वेतनमानों वाले नए नियमित पद बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो:— सेवा में नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की राष्ट्रीयता, अधिवास तथा चरित्र।

- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा:

परन्तु वर्ग (ख) या (ग) से संबंधित व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण—पत्र जारी किया गया हो।

- (2) कोई भी व्यक्ति जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा पात्रता का आवश्यक प्रमाण—पत्र जारी किए जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह अपने अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन से भली भाँति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु।

5. कोई भी व्यक्ति सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अठारह वर्ष की आयु से कम या बयालीस वर्ष की आयु से अधिक का हो:

परन्तु सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित विभिन्न प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट स्वीकार्य होगी।

नियुक्ति प्राधिकारी।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियाँ परिवहन आयुक्त द्वारा की जाएगी।

योग्यताएं तथा अनुभव।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 3 में विनिर्दिष्ट तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में विनिर्दिष्ट योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती की दशा में अनुभव सम्बन्धी योग्यताओं में आयोग या किसी अन्य भर्ती प्राधिकरण के विवेक पर, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों से सम्बन्धित अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों, तो 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकेगी, ऐसा करने के लिए लिखित रूप में कारण दिए जाएंगे।

अयोग्यताएं।

8. कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की संतुष्टि हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी.—

(क) सहायक जन संपर्क अधिकारी की दशा में किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) मोटर वाहन निरीक्षक की दशा में,—

(i) सीधी भर्ती द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(ग) जूनियर प्रोग्रामर की दशा में किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(घ) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ङ) सहायक/परिवहन निरीक्षक की दशा में,—

(i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक या लिपिक या आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;

- (च) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक की दशा में,—
- आशुटंककों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (छ) चालक की दशा में,—
- सीधी भर्ती द्वारा; अथवा
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (ज) आशुटंकक की दशा में—
- सीधी भर्ती द्वारा; या
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा;
- (झ) लिपिक/परिवहन उप निरीक्षक की दशा में,—
- 80 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा; तथा
 - 20 प्रतिशत वर्ग घ के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा; अथवा
 - किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) सभी पदोन्नतियां जब तक अन्यथा उपबंधित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी तथा केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

10. (1) टंकण परीक्षा लिपिकों तथा आशुटंककों के लिए सेवा शर्तों के भाग रूप में कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) से प्रतिस्थापित की जाती है। कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) बाद की अपेक्षित शर्त अर्हता होगी जो सरकारी विभागों/संस्थाओं में सभी नए भर्ती/नियुक्त किए गए लिपिकों तथा आशुटंककों को अर्हक करनी होगी। वर्तमान लिपिक जो ग्रुप घ तथा रस्टोरर इत्यादि से पदोन्नत किए गए हैं, जिन्होंने सेवा नियमों के अधीन यथा अपेक्षित अब तक टंकण परीक्षा पास नहीं की है उन्हें या तो टंकण परीक्षा या कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करने का विकल्प होगा। आशुटंककों, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों और वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिकों को भी सेवा नियमों में यथाविहित आशुलिपि परीक्षा भी अर्हक करनी होगी।

कम्प्यूटर
अप्रीशिएशन तथा
ऐप्लिकेशन में
राज्य पात्रता
परीक्षा।

(2) सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियुक्त उम्मीदवार को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक करनी होगी। एस.ई.टी.सी. अर्हक नहीं करने के अवधि के दौरान कोई वार्षिक वेतनवृद्धि तथा पदोन्नति अनुज्ञेय नहीं होगी।

(3) हरियाणा सरकार, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन) या सरकार द्वारा यथाविहित किसी अन्य एजेन्सी को इस नियम के उप-नियम (4) में यथा उपबिन्धत पहले पाठ्यक्रम के अतिरिक्त जैसा सरकार समय-समय पर इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे पाठ्यक्रम के अनुसार टाइपिंग स्पीड में परीक्षा सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) आयोजित करने के लिए प्राधिकृत एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत करती है। हारट्रोन या सरकार द्वारा यथा अनुमोदित किसी अन्य एजेन्सी द्वारा जारी किया गया 'पास' प्रमाण-पत्र सेवा नियमों में विहित शर्त को पूरा करने के साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(4) कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) के लिए पाठ्यक्रम में केवल वर्ड प्रासैसिंग, इन्टरनेट ब्राउजिंग तथा ई-मेल मनेजमेंट होंगे।

(5) लिपिकों की दशा में, दोनों मामलों में समकक्ष की (key) दबाने सहित बदलकर अंग्रेजी में प्रति मिनट 30 शब्द तथा हिन्दी में प्रति मिनट 25 शब्द की टाइपिंग स्पीड, चूँकि टाइपिंग स्पीड कम्प्यूटर पर परीक्षित की जाएगी।

(6) निम्नलिखित योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) देने से छूट दी जाती है :-

- एम.टैक./बी.टैक. (कम्प्यूटर) एम.सी.ए., बी.सी.ए. या मान्यताप्राप्त संस्थान जैसे पॉलिटेक्निक से कम्प्यूटर में डिप्लोमा;
- राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ई.एल.आई.टी.) [पूर्वी डीआईएसीसी सोसाइटी] के अधीन स्थापित किसी मान्यताप्राप्त केन्द्र से बेसिक कम्प्यूटर साक्षरता प्रमाण-पत्र ;

- (iii) एच.के.सी.एल. के प्राधिकृत शिक्षा केन्द्रों (ए.एल.सी.ज.) से सूचना प्रौद्योगिकी में हरियाणा राज्य प्रमाण-पत्र (एच.एस.सी.आई.टी.) ;
- (iv) उम्मीदवारों/कर्मचारियों जिन्होंने एस.ई.टी.सी. पहले से ही पास कर रखी है तथा वह सेवा ग्रहण करते समय वैध है। किसी उम्मीदवार द्वारा पहले से ही पास कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) को हार्डटोन द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेन्सी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध माना जाएगा; तथा
- (v) शारीरिक रूप से अशक्त उम्मीदवारों अर्थात् हाथ (बायां तथा दायां) का अंगच्छेदन, ऊपरी अंगों का अंगच्छेदन, पैरैलाइसिस ऑफ रेड्यल (रेड्यल नॉव पॉल्जि) दोनों में से कोई एक ऊपरी अंग। नॉवस सिस्टम को प्रभावित करने वाला डेक्लिनेशन डिजेनैरेटिव डिस्ऑर्डर्स जो हाथ के लकवे तथा इसकी मांसपेशियों की क्षीणता तथा आंखों की विकलांगता का कारण हो सकता है।

तथापि, इन कर्मचारियों को उपरोक्त उप-पैरा (v) के अधीन वर्णित अपवाद सहित कम्प्यूटर अप्रीशिएशन तथा एप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) की भागरूप टंकण परीक्षा क्लीयर करना अपेक्षित होगा।

परिवीक्षा।

11. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा:

परन्तु—

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद, किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जाएगी;
- (ख) स्थानांतरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किए गए कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन निश्चित परिवीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जाएगी, किन्तु इस प्रकार स्थानापन्न रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त न किया गया हो, तो पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है; और
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—
 - (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है; या
 - (ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है। जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्त अनुज्ञात करे।

- (3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

- (क) यदि उसकी राय में, उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो, ऐसे व्यक्ति को उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है।
- (ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—
 - (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसकी सेवा समाप्त कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है या उसके सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कारवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों से अनुज्ञात करें; या
 - (ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी:

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हो तो, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी:

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता नियत करते समय बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यताक्रम भंग नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उसकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जाएगी:—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा; या
- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में उन सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जाएगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानांतरण किए गए थे; और
- (घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उसकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जाएगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जाएगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो, तो उनकी ज्येष्ठता उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो, तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

13. (1) सेवा के सदस्यों को नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष, जो भी उच्चतर हो, द्वारा लोक हित में चण्डीगढ़ प्रशासन तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड सहित हरियाणा सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में विदेश सेवा/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया जा सकता है:

सेवा करने का दायित्व।

परन्तु कोई भी सरकारी कर्मचारी परीक्षा की अवधि के दौरान तथा अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(2) किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी संगठन/विभाग में या भारत के बाहर विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) या (2) के अधीन किसी सरकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के अध्याय X में अधिकथित शर्तों तथा किन्हीं निर्बन्धनों, जो यह साधारण या विशेष आदेशों द्वारा अधिरोपित करना ठीक समझे के अध्वधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

टिप्पण 1.— किसी भी सरकारी कर्मचारी को विदेश सेवा या प्रतिनियुक्ति पर तब तक स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा जब तक उधारयाची नियुक्ता उसे ऐसे विशेष सुविधाओं से कम प्रदान न करने के लिए वचन नहीं देता है जो वह भोग रहा होता, यदि वह हरियाणा सरकार की सेवा में रहता।

टिप्पण 2.— अस्थायी या स्थायी सरकारी कर्मचारी का उसके मूल विभाग में धारणाधिकार अविकल रहेगा जैसा वह विदेश सेवा में या प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित न होने पर होता।

टिप्पण 3.— चण्डीगढ़ प्रशासन, भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड या हरियाणा सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर होगा। तथापि, वह किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा तथा प्रतिनियुक्ति की अवधि के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन स्कीम के अधीन समरूप अंशदान को छोड़ कर अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान के भुगतान के लिए उधारदाता विभाग पर कोई भी दायित्व नहीं होगा।

14. (1) वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य सभी मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (भत्ते) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016, हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 तथा ऐसे नियमों

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

तथा विनियमों द्वारा शासित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाये अथवा बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाए जाएं :

परन्तु हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 या उसके बाद नियुक्त किए हों (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपादान और अवकाश नकदीकरण को छोड़कर)।

(2) कोई सरकारी कर्मचारी, जो सेवा या पद से सेवा निवृत्त होता है, अधिवर्षिता पेंशन (किंतु पेंशन के किसी अन्य किस्म के लिए नहीं) के लिए अर्हक सेवा में परिवर्धन करने के लिए पात्र होगा—

- (i) उसकी सेवा की अवधि के एक चौथाई से अन्धिक वास्तविक अवधि: या
- (ii) वास्तविक अवधि, जिससे भर्ती के समय उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक होती है; या
- (iii) पांच वर्ष की अवधि,

इनमें से जो भी कम हो, यदि वह सेवा या पद, जिसमें सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की गई है, निम्नलिखित में से कोई एक है,—

(क) जिसके लिए प्रौद्योगिकी या व्यवसायिक क्षेत्र में विशिष्ट वैज्ञानिक स्नातकोत्तर अनुसंधान या अर्हता या अनुभव अनिवार्य है ; और

(ख) जिस पर सामान्यतः पच्चीस वर्ष से अधिक आयु के उम्मीदवार भर्ती किए गए हैं:

परन्तु यह छूट उन सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय होगी, जिनकी:—

- (i) नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की गई है और न कि पदोन्नति द्वारा;
- (ii) वास्तविक अर्हक सेवा अधिवर्षिता सेवानिवृत्ति के समय दस वर्ष या अधिक है:

परन्तु उपरोक्त उपनियम (2) के उपबन्ध, सेवा के उन सदस्यों को लागू नहीं होंगे, जो प्रथम जनवरी, 2006 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हों।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट छूट उसी विभाग में या किसी अन्य विभाग में किसी अन्य पद से ऐसे पद पर पश्चात्पूर्ति नियुक्ति को भी लागू होगी:

परन्तु सरकारी कर्मचारी या तो अपनी पूर्ववर्ती अर्हक सेवा को अधिवर्षिता पेंशन के लिए हिसाब में लेने का हकदार होगा या उपनियम (2) के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार होगा। वह इस आशय के विकल्प का प्रयोग पद ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर करेगा। एक बार विकल्प का किया गया प्रयोग अन्तिम होगा।

अनुशासन,
शास्तियां तथा
अपीलें।

15. (1) अनुशासन, शक्तियों तथा अपीलों से सम्बन्धित मामलों में सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016, द्वारा नियन्त्रित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्तियां लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दंड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (1) या खंड (ग) या खंड (घ) के अधीन आदेश करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा, ऐसा निर्देश करे, टीका लगवाएगा तथा पुनः टीका लगवाएगा।

राजनिष्ठा की
शपथ।

17. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी।

आरक्षण।

18. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार इस सम्बन्ध में समय-2 पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

विशेष उपबन्ध।

19. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह उचित समझे तो नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगा सकता है।

20. जहां सरकार की राय में, इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक अथवा उचित हो, जहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है। ढील देने की शक्ति।
21. हरियाणा परिवहन विभाग (ग्रुप ग) परिवहन आयुक्त कार्यालय सेवा नियम, 1998, जहां तक इन नियमों द्वारा शासित पदों में विलय किए गए पदों को लागू है, इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं: निरसन तथा व्यावृत्ति।
- परन्तु इस प्रकार के निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्यवाई समझी जाएगी।

परिशिष्ट क
(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1	अनुभाग अधिकारी	12	खजाना तथा लेखा विभाग, हरियाणा से अपने वेतनमान में प्रतिनियुक्ति द्वारा।
2	सहायक जन संपर्क अधिकारी	1	एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400)
3	मोटर वाहन निरीक्षक	24	एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400)
4	सहायक सचिव	22	एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400)
5	जूनियर प्रोग्रामर	2	एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400)
6	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	1	एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400)
7	सहायक/परिवहन निरीक्षक	149	एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400)
8	लेखाकार	25	एफ.पी.एल. 6 (35,400—1,12,400)
9	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	11	एफ.पी.एल. 4 (25,500—81,100)
10	चालक	74	एफ.पी.एल. 4 (25,500—81,100)
11	मुख्य सिपाही	23	अपने वेतनमान में पुलिस विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
12	सिपाही	65	अपने वेतनमान में पुलिस विभाग, हरियाणा से प्रतिनियुक्ति द्वारा।
13	आशुटंकक	29	एफ.पी.एल. 2 (19,900—63,200)
14	लिपिक/परिवहन उपनिरीक्षक	221	एफ.पी.एल. 2 (19,900—63,200)

- टिप्पण 1. सहायक सचिव और लेखाकार के पद ह्रासमान संवर्ग के हैं, इसलिए ये पद पदधारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति या पदोन्नति या अन्यथा होने वाली रिक्ति के साथ समाप्त हो जाएंगे।
- टिप्पण 2. सहायक को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती के दौरान परिवहन निरीक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
- टिप्पण 3. लिपिक को क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनाती के दौरान परिवहन उप निरीक्षक के रूप में पदाभिहित किया जाएगा।
- टिप्पण 4. अनुभाग अधिकारी, मुख्य सिपाही तथा सिपाही के पद उनके पैतृक विभाग के सेवा नियमों, जो उनको लागू हों, द्वारा शासित होंगे।

परिशिष्ट ख
(देखिए नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	सहायक जन संपर्क अधिकारी		प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष ; (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या जनसंचार संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा ; (iii) संपादक या उप-संपादक या दैनिक या साप्ताहिक प्रकाशन में पूर्णकालिक संवाददाता, जिसका विधिवत् प्रमाणित प्रचलन पांच हजार से कम नहीं है, या समाचार एजेंसी। टिप्पण— कोई मानद या अंशकालिक अनुभव नहीं गिना जाएगा ; (iv) अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव ; तथा (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
2.	मोटर वाहन निरीक्षक	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक; तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्ष पाठ्यक्रम); अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्ष पाठ्यक्रम) ; (iii) गियर के साथ मोटर साईकिल तथा हल्के मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति; (iv) मूल उपकरण विनिर्माता वाली किसी ऑटोमोबाईल वर्कशाप, जहां हल्के मोटर वाहन तथा भारी मोटर वाहन की मरम्मत जिसमें पेट्रोल तथा डीजल ईंजन का काम होता हो, में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव; (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; (vi) कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।	प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक; तथा (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से ऑटो मोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्ष पाठ्यक्रम); अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्ष पाठ्यक्रम) ; (iii) गियर के साथ मोटर साईकिल तथा हल्के मोटर वाहन को चलाने की अनुज्ञप्ति; (iv) मूल उपकरण विनिर्माता वाली किसी ऑटोमोबाईल वर्कशाप, जहां हल्के मोटर वाहन तथा भारी मोटर वाहन की मरम्मत जिसमें पेट्रोल तथा डीजल ईंजन का काम होता हो, में कम से कम एक वर्ष का कार्य अनुभव; (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत; (vi) कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।
3.	जूनियर प्रोग्रामर		प्रतिनियुक्ति द्वारा — (i) स्नातक (55 प्रतिशत अंक) तथा पीजीडीसीए/पीडीसीए/पीजीडीआईटी/एपीजीडीसीए ;

			या बीसीए/बी.एससी. (कम्प्यूटर साईंस/आई.टी.) एमसीए/एम.एससी (कम्प्यूटर साईंस/आई.टी.)/बी. टेक (किसी भी स्ट्रीम में) (55 प्रतिशत अंकों सहित); या एसबीटीई/महाविद्यालय से कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन/ आईटी में तीन वर्षीय डिप्लोमा, डीओई/एनआईएलआईटी से (55 प्रतिशत अंकों सहित) ए/बी/सी लेवेल कोर्स ; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।
4.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		पदोन्नति द्वारा – (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) 10+2 ; (iii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रोसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; अथवा (iv) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रोसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा टिप्पण: चार प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) 10+2 ; (iii) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रोसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; अथवा (iv) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रोसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन। टिप्पण: चार प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी।
5.	सहायक / परिवहन निरीक्षक		पदोन्नति द्वारा – कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में चार वर्ष का अनुभव या कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक तथा आशुटंकक के रूप में पांच वर्ष का संयुक्त अनुभव या आशुटंकक/लिपिक/परिवहन उप-निरीक्षक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव। प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) सहायक या अनुरूप पद पर दो वर्ष का अनुभव ; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत।

6.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक		पदोन्नति द्वारा— (i) आशुटंकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) 10+2 ; (iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन । (iv) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा टिप्पण: आठ प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) 10+2 ; (iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; अथवा (iv) 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत । टिप्पणी: आठ प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी ।
7.	चालक	(i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित चालन परीक्षा पास की होनी चाहिए ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; तथा (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा — (i) मैट्रिक ; (ii) कम से कम तीन वर्ष पुरानी हल्का परिवहन वाहन चालन अनुज्ञप्ति होनी चाहिए; (iii) चालक के रूप में हल्का परिवहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव ; (iv) वर्णान्ध नहीं होना चाहिए ; तथा (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ।
8.	आशुटंकक	(i) 10+2 ; (ii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; अथवा	प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) आशुटंकक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ; (ii) 10+2 ; (iii) 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; अथवा (iv) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि

		(iii) 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा सामान्यतः वर्ड प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा (iv) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत । टिप्पण: आठ प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी ।	तथा सामान्यतः वर्ड प्रौसैसिंग साफ्टवेयर सहित कम्प्यूटर पर 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन ; तथा (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत । टिप्पण: आठ प्रतिशत अशुद्धियां अनुज्ञेय होंगी ।
9.	लिपिक / परिवहन निरीक्षक	(i) 10+2 ; तथा (ii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ।	पदोन्नति द्वारा— (i) 10+2 ; (ii) वर्ग घ के किसी पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा ; (iii) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत । प्रतिनियुक्ति द्वारा— (i) 10+2 ; (ii) लिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव; (iii) कम्प्यूटर अप्रेशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) अर्हक होना चाहिए; तथा (v) मैट्रिक या उच्चतर शिक्षा में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत ।

परिशिष्ट ग
/देखिए नियम 15 (1)/

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
1.	सहायक जन संपर्क अधिकारी	परिवहन आयुक्त	I. छोटी शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। II. बड़ी शास्तियां— हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	परिवहन आयुक्त	सरकार
2.	मोटर वाहन निरीक्षक				
3.	सहायक सचिव				
4.	जूनियर प्रोग्रामर				
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
6.	सहायक/परिवहन निरीक्षक				
7.	लेखाकार				
8.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक				
9.	चालक				
10.	आशुटंकक				
11.	लिपिक/परिवहन उपनिरीक्षक				

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 15 (2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश करने का स्वरूप	आदेश करने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	सहायक जन संपर्क अधिकारी	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य या अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना ; (ii) सेवा के किसी सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति ।	परिवहन आयुक्त	सरकार
2.	मोटर वाहन निरीक्षक			
3.	सहायक सचिव			
4.	जूनियर प्रोग्रामर			
5.	वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
6.	सहायक /परिवहन निरीक्षक			
7.	लेखाकार			
8.	कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक			
9.	चालक			
10.	आशुटंकक			
11.	लिपिक /परिवहन उपनिरीक्षक			

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
परिवहन विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT**TRANSPORT DEPARTMENT****Notification**

The 30th November, 2021

No. G.S.R. 24/Const./Art. 309/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Transport Department Haryana (Group C) Service, namely:-

PART I-GENERAL

1. (1) These rules may be called the Transport Department Haryana (Group C) Service Rules, 2021. Short title, commencement and applicability.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (3) These rules shall be applicable to all Group C employees of Head Office and Field Offices appointed on regular basis.
2. In these rules, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “Commission” means the Haryana Staff Selection Commission;
 - (b) “direct recruitment” means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;
 - (c) “Field Offices” means offices of Transport Department, Haryana other than the Head Office;
 - (d) “Government” means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
 - (e) “Head Office” means the office of the Transport Commissioner;
 - (f) “institution” means –
 - (i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or
 - (ii) any other institution recognized by the Government for the purposes of these rules;
 - (g) “recognized university” means -
 - (i) any university incorporated by law in India; or
 - (ii) any other university which is declared by the Government to be a recognized university for the purposes of these rules;
 - (h) “Service” means the Transport Department Haryana (Group C) Service;
 - (i) “Transport Commissioner” means the Transport Commissioner, Transport Department, Haryana.

PART II-RECRUITMENT TO SERVICE

3. The Service shall comprise the posts shown in **Appendix A** of these rules: Number and character of posts.
Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay.
4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is – Nationality, domicile and character of candidates appointed to Service.
 - (a) a citizen of India; or
 - (b) a subject of Nepal; or
 - (c) a subject of Bhutan:

Provided that a person belonging to any of the categories (b) or (c) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission or any other recruiting authority but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age. **5.** No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than eighteen years or more than forty-two years of age, on the last date of submission of application to the Commission or any other recruiting authority:

Provided that a relaxation in upper age limit shall be admissible to the persons of various categories as may be prescribed by the Government from time to time.

Appointing authority. **6.** All appointments to the posts in the Service shall be made by the Transport Commissioner.

Qualifications and experience. **7.** No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of the qualifications and experience specified in column 3 of **Appendix B** to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment:

Provided that in case of direct recruitment, the qualification regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission or any other recruiting authority in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-serviceman and physically handicapped candidates possessing the requisite experience are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

Disqualifications. **8.** No person,-
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Method of recruitment. **9.** (1) Recruitment to the service shall be made, -
 (a) In case of Assistant Public Relation Officer by deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
 (b) in the case of Motor Vehicle Inspector-
 (i) by direct recruitment; or
 (ii) by deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India;
 (c) In the case of Junior Programmer by deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
 (d) in the case of Senior Scale Stenographer-
 (i) by promotion from amongst the Junior Scale Stenographers; or
 (ii) by deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
 (e) In the case of Assistant/Transport Inspector-
 (i) by promotion from amongst the Junior Scale Stenographer or Clerk or Steno-Typists; or
 (ii) by deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.

- (f) In the case of Junior Scale Stenographer-
 - (i) by promotion from amongst Steno-Typists; or
 - (ii) by deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
 - (g) in the case of Driver-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India.
 - (h) in the case of Steno Typist-
 - (i) by direct recruitment; or
 - (ii) by deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
 - (i) In the case of Clerk/Transport Sub Inspector-
 - (i) 80% by direct recruitment; and
 - (ii) 20% by promotion from amongst the Group-D employees; or
 - (iii) by deputation of an official already in the service of any State Government or Government of India.
- (2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Typing test is substituted with the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) as a part of service requirement for the Clerks and the Steno-typists. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) shall be a post requisite condition/qualification which all the newly recruited/appointed Clerks, Steno-typists shall have to pass. The existing Clerks, who have been promoted from Group-D and Restorer etc. who have not passed the typing test till date as required under the Service Rules shall have an option either to pass the typing test or the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). The Steno-typists, the Junior Scale Stenographers and the Senior Scale Stenographers shall also have to qualify stenography test as prescribed in the Service Rules.

State Eligibility
Test in
Computer
Appreciation and
Applications.

(2) The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC). No annual increment and no promotion shall be admissible during the period of non qualifying the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications.

(3) The Government of Haryana hereby authorizes the Haryana State Electronic Development Corporation Limited (HARTRON) or any other agency as prescribed by the Government, as the authorized Agency for conducting the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC), alongwith a test in typing speed in accordance with the syllabus as the state Government may specify in this regard from time to time, besides the syllabus already provided in sub-rule (4) of this rule. The 'pass' certificate issued by HARTRON or any other agency, as approved by the Government would be accepted as an evidence of the fulfilment of the prescribed condition in the Service Rules.

(4) The syllabus for the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) would contain Word processing, internet browsing and E-mail management only.

(5) In the case of Clerks, typing speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi converted with equivalent key depressions in both cases as the typing speed, would be tested on computers.

(6) The employees possessing the following qualifications are exempted from taking the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC):-

- (i) M.Tech./B.Tech. (Computers), M.C.A., B.C.A. or Diploma in Computers from the recognized institutions e.g. Polytechnics;
- (ii) Basic Computer Literacy Certificate from any recognized centre established under the National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT) [erstwhile DOEACC Society];

- (iii) Haryana State Certificate in Information Technology [HS-CIT] from the Authorised Learning Centres (ALCs) of the HKCL;
- (iv) Candidates/employees who have already passed the SETC and the same is valid at the time of joining the service. The State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC) passed by any candidate earlier shall be considered valid for a period of five years from the date of issue of such certificate by HARTRON or any other agency authorized by the Government; and
- (v) Physically disabled candidates i.e. amputation of hand and (Left Right) Amputation of Nerve upper Limbs, Paralysis of Radial (Radial Nerve Palsy) of either upper limb. Declination degenerative disorder effecting the nervous system which may cause paralysis and atrophy of the hand and its muscles and visually handicapped.

However, these employees, with the exception of those mentioned under sub-para (v) above, shall be required to clear the 'typing test' being part of the State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC).

Probation.

11. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment and one year, if appointed otherwise:

Provided that-

- (a) any period, after such appointment, spent on deputation on corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;
- (b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation, fixed under this rule; and
- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a regular vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person at any time during the period of probation is not satisfactory, it may, -

- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,-
 - (i) revert him to his former post ;or
 - (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may-

- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory, confirm such person from the date of his appointment against the vacancy;
- (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory;-
 - (i) dispense with his Service, if appointed by direct recruitment, and if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of previous appointment permit; or
 - (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation:

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority.

12. Seniority, inter-se, of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre:

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission or any other recruiting authority, as the case may be, shall not be disturbed in fixing the seniority:

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows:-

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer;
- (c) in the case of members appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment, and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointments, and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

13. (1) A member of Service may, in public interest, be transferred by the appointing authority or Head of Department, whichever is higher, on deputation to any Organization/ Department under the control of Haryana Government including Chandigarh Administration and Bhakra Beas Management Board:

Liability to serve.

Provided that no Government employee shall be transferred on deputation during the period of probation and one year before his retirement on superannuation.

(2) No Government employee shall be transferred on deputation against his will in any Organization/Department under the control of Government of India or any other State Government.

(3) Transfer of a Government employee under sub rule (1) or (2) above shall be sanctioned by the competent authority subject to the conditions laid down in the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016 and any restrictions which it may deem fit to impose by general or special orders.

Note 1.— No Government employee shall be transferred on deputation unless the borrowing employer undertakes to afford him the privileges not inferior to those which he would have enjoyed, had he remained in the service of the Government of Haryana.

Note 2.— The lien of temporary or permanent Government employee in his parent Department shall remain intact had he not been transferred on deputation.

Note 3.— A Government employee transferred to Chandigarh Administration, Bhakra Beas Management Board or any other Department of Haryana Government shall be on deputation however, he shall not be entitled to any deputation allowance and there shall be no liability on the borrowing Department for payment of leave salary and pension contribution, except matching contribution under Defined Contributory Pension Scheme, for the period of deputation.

14. (1) In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the member of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (General) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pay) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Travelling Allowance) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Allowances) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (General Provident Fund) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Government Employee Conduct) Rules, 2016, the Haryana Civil Services (Punishment and appeal) Rules, 2016 and by such rules and regulations, as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature:

Pay, leave, pension and other matters.

Provided that the Haryana Civil Services (Pension) Rules, 2016 shall not be applicable to those members of service who are appointed on or after the 1st January, 2006 (except death-cum-retirement gratuity and leave encashment).

(2) A Government employee who retires from Service or post shall be eligible to add to his Service qualifying for superannuation pension (but not for any other class of pension).-

- (i) the actual period not exceeding one-fourth of the length of his Service; or
- (ii) the actual period by which his age at the time of recruitment exceeds twenty-five years; or
- (iii) a period of five years, whichever is less, if the Service or post to which the Government employee is appointed is one-
 - (a) for which post-graduate research or specialist qualification, or experience in scientific, technological or professional fields is essential; and
 - (b) to which candidates of more than twenty-five years of age are normally recruited:

Provided that this concession shall be admissible to a Government employee-

- (i) appointed by direct recruitment and not by promotion;
- (ii) who has actual qualifying service of ten years or more at the time of superannuation retirement:

Provided that the provision of above said sub-rule (2) shall not be applicable to those member of Service who are appointed on or after the 1st January, 2006.

(3) The concession referred to sub-rule (2) shall also be admissible on subsequent appointment from any other post to such a post in the same or any other department:

Provided that the Government employee shall be entitled either to count his past qualifying service for superannuation pension or to get concession under sub-rule (2). He shall exercise an option to this effect within one year from the date of joining. The option once exercised shall be final.

Discipline,
penalties and
appeals.

15. (1) In the matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in **Appendix C** to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeals) Rules, 2016 and the appellate authority shall be as specified in **Appendix D** to these rules.

Vaccination.

16. Every member of the Service shall get himself vaccinated or revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of
allegiance.

17. Every member of the Service unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance of India and to the Constitution of India as established by law.

Reservations.

18. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time.

Special
provisions.

19. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment, if it is deemed expedient to do so.

Power of
relaxation.

20. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Repeal and
savings.

21. The Haryana Transport Department (Group C) Transport Commissioner's Office Service Rules, 1998, as so far applicable to the posts governed by these rules are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

APPENDIX A*(see rule 3)*

Serial number	Designation of posts	Number of posts	Scale of Pay
1	2	3	4
1.	Section Officer	12	By deputation from the Treasury and Accounts Department, Haryana in his own pay scales.
2.	Assistant Public Relations Officer	1	Level-6 (35,400-1,12,400)
3.	Motor Vehicle Inspector	24	Level-6 (35,400-1,12,400)
4.	Assistant Secretary	22	Level-6 (35,400-1,12,400)
5.	Junior Programmer	2	Level-6 (35,400-1,12,400)
6.	Senior Scale Stenographer	1	Level-6 (35,400-1,12,400)
7.	Assistant/Transport Inspector	149	Level-6 (35,400-1,12,400)
8.	Accountant	25	Level-6 (35,400-1,12,400)
9.	Junior Scale Stenographer	11	Level-4 (25,500-81,100)
10.	Driver	74	Level-4 (25,500-81,100)
11.	Head Constable	23	By deputation from the Police Department, Haryana in his own pay scales.
12.	Constable	65	By deputation from the Police Department, Haryana in his own pay scales.
13.	Steno Typist	29	Level-2 (19,900-63,200)
14.	Clerk/Transport Sub Inspector	221	Level-2 (19,900-63,200)

- Note:
1. As the posts of Assistant Secretary and the Accountant are of diminishing cadre so these posts will get deleted with the retirement or promotion of the incumbent employee, or vacancy caused otherwise.
 2. Assistant shall be designated as Transport Inspector while posted in field offices.
 3. Clerk shall be designated as Transport Sub Inspector while posted in field offices.
 4. The posts of Section Officer, Head Constable and Constable shall be governed by their respective service rules of parent department as applicable to them.

APPENDIX B

(see rule 7)

Serial number	Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for appointment by direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Assistant Public Relations Officer		By deputation- (i) Graduate from a recognized university or its equivalent; (ii) Diploma in Journalism from a recognized university or institute of Mass Communication; (iii) An Editor or a sub-Editor or a whole time correspondent in a daily or weekly publication with a circulation of not less than five thousand duly certified, or a news agency; Note:- No honorary or part time experience shall be counted; (iv) two years experience on an analogous post; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
2.	Motor Vehicle Inspector	(i) Matriculation from a recognised Board; and (ii) a diploma in Automobile Engineering (three year course); or (iii) holding a driving licence authorising to drive motor cycle with gear and light motor vehicles; (iv) working experience of at least one year in any automobile workshop of any Original Equipment Manufacturer (OEM) which undertakes repairs of light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor	By deputation- (i) Matriculation from a recognised Board; and (ii) a diploma in Automobile Engineering (three year course); or (iii) holding a driving licence authorising to drive motor cycle with gear and light motor vehicles; (iv) working experience of at least one year in any automobile workshop of any Original Equipment Manufacturer (OEM) which undertakes repairs of light motor vehicles, heavy goods vehicles and heavy passenger motor vehicles fitted with petrol and diesel engine; (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education; (vi) Should have knowledge of computers.

Serial number	Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for appointment by direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
		(v) vehicles fitted with petrol and diesel engine; Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. (vi) Should have knowledge of computers.	
3.	Junior Programmer	_____	By deputation- (i) Graduate (55% marks) with PGDCA/PDCA/PGDIT/APG DCA. or BCA/B.Sc. (Comp.Sc./IT)/MCA/ M.SC (Comp. Sc./IT)/B.Tech (in any stream) (with 55% marks); or Three Years Diploma in Comp. Application/IT from SBTE/ University, ‘A’/‘B’/‘C’ Level course from DOE/NIELIT (with 55% marks); and (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
4.	Senior Scale Stenographer	_____	By promotion- (i) two years experience as Junior Scale Stenographer; (ii) 10+2; (iii) Hindi Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute on computer with commonly used word processing software; or (iv) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute on computer with commonly used word processing software; and Note: Four percent errors are permissible. By deputation- (i) two years experience as Senior Scale Stenographer; (ii) 10+2;

Serial number	Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for appointment by direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
			(iii) Hindi Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute on computer with commonly used word processing software; or (iv) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute on computer with commonly used word processing software; and Note: Four percent errors are permissible.
5.	Assistant/ Transport Inspector	_____	By promotion- Four years experience as Junior Scale Stenographer or Five years combined experience as Junior Scale Stenographer and Steno Typist or Five years experience as Steno Typist/Clerk/Transport Sub Inspector. By deputation- (i) two years experience as Assistant or on an analogous post; (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
6.	Junior Scale Stenographer	_____	By promotion- (i) two years experience as Steno-Typist; (ii) 10+2; (iii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute on computer with commonly used word processing software; or (iv) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute on computer with commonly used word processing software; and Note: Eight percent errors are permissible. By deputation- (i) two years experience as Junior Scale Stenographer; (ii) 10+2;

Serial number	Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for appointment by direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
			(iii) Hindi Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute on computer with commonly used word processing software; or (iv) English Shorthand at 100 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute on computer with commonly used word processing software; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. Note: Eight percent errors are permissible.
7.	Driver	(i) Matric; (ii) Should have a light vehicle valid driving licence at least three years old; (iii) Should have passed the driving test, conduct by the Haryana Staff Selection Commission; (iv) Should not be colour blind; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	By deputation - (i) Matric; (ii) Should have a light vehicle valid driving licence, at least three years old; (iii) Three years experience as driver of driving light motor vehicle; (iv) Should not be colour blind; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.
8.	Steno Typist	(i) 10+2; (ii) Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute on computer with commonly used word processing software; or (iii) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute on computer with commonly used word processing software; and (iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. Note: eight percent errors are permissible.	By deputation- (i) two years experience as Steno-Typist; (ii) 10+2; (iii) Hindi Shorthand at 64 words per minute and transcription thereof at 11 words per minute on computer with commonly used word processing software; or (iv) English Shorthand at 80 words per minute and transcription thereof at 15 words per minute on computer with commonly used word processing software; and (v) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. Note: eight percent errors are permissible.

Serial number	Designation of posts	Academic qualification and experience, if any, for appointment by direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
9.	Clerk/ Transport Sub- Inspector	(i) 10+2; (ii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.	By promotion - (i) 10+2; (ii) Five years regular service on any of the Group D posts; and (iii) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education. By deputation- (i) 10+2; (ii) Two years experience as Clerk; (iii) Should have qualified State Eligibility Test in Computer Appreciation and Applications (SETC); and (iv) Hindi or Sanskrit as one of the subject in Matric or Higher Education.

APPENDIX C**[see rule 15 (1)]**

Serial number	Designation of posts	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority
1	2	3	4	5	6
1.	Assistant Public Relation Officer	Transport Commissioner	(i) Minor Penalties- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016. (ii) Major Penalties- As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Transport Commissioner	Government
2.	Motor Vehicle Inspector				
3.	Assistant Secretary				
4.	Junior Programmer				
5.	Senior Scale Stenographer				
6.	Assistant/Transport Inspector				
7.	Accountant				
8.	Junior Scale Stenographer				
9.	Driver				
10.	Steno Typist				
11.	Clerk/Transport Sub-Inspector				

APPENDIX D**[see rule 15(2)]**

Serial number	Designation of posts	Nature of Order	Authority empowered to make order	Appellate authority
1	2	3	4	5
1.	Assistant Public Relation Officer	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment of a member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Transport Commissioner	Government
2.	Motor Vehicle Inspector			
3.	Assistant Secretary			
4.	Junior Programmer			
5.	Senior Scale Stenographer			
6.	Assistant/Transport Inspector			
7.	Accountant			
8.	Junior Scale Stenographer			
9.	Driver			
10.	Steno Typist			
11.	Clerk/Transport Sub-Inspector			

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Transport Department.